सं0-301 / 38-6-17-12एसआरएलएम / 2015

प्रेषक,

सहदेव,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास,
लखनऊ।

ग्राम्य विकास अनुभाग-6 **लखनऊः दिनांक-15 जून, 2017**

विषयः- प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के संचालन के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं0-551/कार्य0/पी0एम0ए0जी0वाई0/2017, दि0-30.05.2017 का संदर्भ लेने का कष्ट करें, जिसके द्वारा यह प्रस्तावित किया गया है कि भारत सरकार की भांति राज्य स्तर पर भी योजना का संचालन व समन्वय समाज कल्याण विभाग द्वारा किया जाये। इस संबंध में आज दि0-09.06.2017 को आपके साथ हुई बैठक में हुए विचार-विमर्श के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि योजना के संचालन के संबंध में निम्नानुसार कार्यवाही किये जाने का निर्णय शासन स्तर पर लिया गया है:-

1- शासन के समाज कल्याण विभाग द्वारा प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना का संचालन व समन्वय करने में असमर्थता व्यक्त कर दी गयी है। अतः फील्ड स्तर पर ग्राम्य विकास विभाग के व्यापक संगठनात्मक ढांचे, विकास कार्यक्रमों/योजनाओं में विभाग की भूमिका एवं पूर्व से इस प्रकार की समन्वयकारी योजनाओं के संचालन के अनुभव को देखते हुए प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना का संचालन व समन्वय ग्राम्य विकास विभाग के द्वारा किया जाए, जब तक की कोई अन्यथा निर्णय शासन स्तर पर न हो जाए।

2- संबंधित जनपदों द्वारा मुख्य विकास अधिकारियों की देखरेख में व जिलाधिकारियों के मार्गदर्शन में संबंधित ग्रामों का विलेज डेवलपमेंट प्लान तैयार किया गया है। अतः उचित होगा कि उक्त विलेज डेवलपमेंट प्लान्स के क्रियान्वयन का अनुश्रवण व समन्वय जनपद स्तर पर जिलाधिकारियों के मार्गनिर्देशन में मुख्य विकास अधिकारियों के द्वारा किया जाए।

3- जनपद स्तर पर योजना के सफल क्रियान्वयन एवं अन्तर्विभागीय समन्वय हेतु जिलाधिकारियों की अध्यक्षता में एक समिति गठित कर दी जाए, जिसमें संबंधित विभागों के जनपद स्तरीय अधिकारी सदस्य होंगे तथा

http://shasanadesh.up.nic.in

मुख्य विकास अधिकारी, समन्वयक एवं जिला विकास अधिकारी, सदस्य सचिव होंगे।

4- भारत सरकार से प्राप्त धनराशि संबंधित जनपदों को चयनित ग्राम पंचायतों के अनुपात में आवंटित/अवमुक्त कर दी जाए।

5- प्रदेश स्तर पर योजना के वित्तीय प्रबन्धन, नीतिगत बिन्दुओं एवं अनुश्रवण का दायित्व आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0 का होगा।

6- जिला व ग्राम स्तर पर योजना के सफल संचालन व कार्यान्वयन हेतु संबंधित जनपदों के जिलाधिकारियों, जिला विकास अधिकारियों, संबंधित विभागों के जिला स्तरीय अधिकारियों व चयनित खण्ड विकास अधिकारियों की एक ओरियन्टेशन कार्यशाला दीन दयाल उपाध्याय राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, वक्शी का तालाब, लखनऊ के तत्वाधान में आयोजित करायी जाए, ताकि जनपद व फील्ड स्तर पर योजना के उद्देश्य, संकल्पना, रणनीति, वित्त पोषण एवं कार्यान्वयन नीति आदि के बारे में किसी प्रकार की भ्रम की स्थिति न रहे।

7- योजना के सफल अनुश्रवण हेतु भारत सरकार की मार्गनिर्देशिका के प्रस्तर-12.4.2(III) के अनुसार राज्य सूचना विज्ञान केन्द्र(एनआईसी) के माध्यम से योजना का साफ्टवेयर तैयार कराया जाए।

2- अतः मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही तथा योजना के क्रियान्वयन की पाक्षिक प्रगति रिपोर्ट निर्धारित प्रारूप पर शासन को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(सहदेव)
विशेष सचिव।

<u>सं0-301 (1)/38-6-2017 तददिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- मण्डलायुक्त लखनऊ, फैजाबाद, बरेली।
2- जिलाधिकारी लखनऊ, सीतापुर, सुल्तानपुर, पीलीभीत।
3- मुख्य विकास अधिकारी लखनऊ, सीतापुर, सुल्तानपुर, पीलीभीत।

आज्ञा से,

(सहदेव)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in